

RERA REGISTRATION NO.: RC/REP/HARERA/GGM/383/115/2019/77 (www.haryanarera.gov.in)

सूचना

Licence No.: 89 of 2019 dated 02.08.2019

परियोजनाः Signature Global Proxima I, कमर्सियल स्पेसः Signum 89 I जबकि

 निम्नलिखित आवंटी को उपरोक्त पिरयोजना में उनके आवंदन के तदनानुसार निम्नलिखित इकाई आवंटित की गयी थीः

क्रमांक	आवंटी का नाम	आवंटित इकाई	बीबीए तिथि	टीपीए तिथि	रद्द करने की सूचना देने वाले बैंक के पत्र की तिथि	उक्त बैंक पत्र के बारे में आवटी को सूचित करने वाले पत्र की तिथि
1	PANKAJ AWASTHI	5-1102	21-10-2020	02-11-2020	11-09-2023	20-09-2023
2	MONIKA AGRAWAL	5-1204	06-11-2020	01-12-2020	11-09-2023	20-09-2023

- उपरोक्त आवटी ने संबंधित बैंक के साथ प्रासंगिक समय पर एक त्रिपक्षीय समझौता किया था और तदनुसार, ऋण वितरित किया गया था।
- 3. उक्त त्रिपक्षीय समझौता के अनुसार उक्त ऋण के मुगतान में चूक की स्थिति में आवटन रद्द कर दिया जाएगा और प्राप्त राशि का मुगतान संबंधित बैंक की सूचना पर बयाना राशि की कटौती के बाद सीधे बैंक को किया जाएगा।
- 4. संबंधित बैंक ने हमें सूचित किया है कि उपरोक्त आवटी ने उक्त ऋण राशि के भुगतान में चूक की है और साथ ही आवटन को उक्त त्रिपक्षीय समझौता के शर्तानुसार रद्द (समाप्त) करने और प्राप्त राशि से बयाना राशि की कटौती के बाद सीधे बैंक को चुकाने के लिए कहा है।
- 5. उपरोक्त आवटी को उचित समय पर इस सूचना के बारे में सूचित किया गया है। हालांकि उपरोक्त आवटी की ओर से उक्त ऋण की अदायगी में हुई चूक को ठीक करने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए यह सूचना एक बार पुनः दी जा रही है।

इसके सूचना के जिरए सूचित किया जाता है उपरोक्त आवंटी ने यदि उक्त ऋण की अदायगी में में हुई चूक को अगले 10 दिनों में ठीक नहीं किया तो हम उक्त त्रिपक्षीय समझौता के शर्तानुसार संबंधित बैंक के सूचनानुसार आवंटन को रह (समाप्त) करने और प्राप्त राशि से बयाना राशि की कटौती के बाद शेष राशि को सीधे बैंक को चुकाने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे मामले में, उपरोक्त आवंटी के पास उक्त आवंटन पर कोई ग्रहणाधिकार या दावा नहीं रहेगा और कंपनी अपने विवेकाधिकार पर किसी मी व्यक्ति एवं पार्टी को उक्त आवंटन को बेचने, देने या स्थानांतरित करने की हकदार होगी।